क्रम-संख्या--321

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 19 जुलाई, 1980

आषाढ़ 28, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1903/सत्रह-वि-1-30-1980

लखनऊ, 19 जुलाई, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 18 जुलाई, 1980 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977, उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 और 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 और 3 में, जहां-जहां शब्द "दो वर्ष की अवधि" आये हों, उनके स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980 तक" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1979" के स्थान पर, अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक "9 अगस्त, 1979" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "31 मार्च 1981" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1980

5—(1) उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 1903(2)/XVII-V—1-30-1980

Dated Lucknow, July 19, 1980

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1980, as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 18, 1980.

THE UTTAR PRADESH LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1980

[U. P. ACT NO. 8 OF 1980]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, *the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act,* 1978 *and the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam,* 1977.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 4, 1979.

Amendment of sections 2 and 3 of U. P. Act no. 13 of 1977.

2. In sections 2 and 3 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, *for* the words "for a period of two years" wherever they occur, the words and figures "until September 30, 1980" shall be *substituted.*

3. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, *for* the word and figures "September 30, 1979" the words and figures "September 30, 1980" shall be *substituted*. — Amendment of section 24 of U. P. Act no. 35 of 1978.

4. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), *for* the words and figures "until 9th day of August, 1979", the words and figures "until 31st day of March, 1981" shall be *substituted*. — Amendment of section 2 of U. P. Act no. 15 of 1977.

U. P. Ordinance no. 6 of 1980. — 5. (1) The Uttar Pradesh Local Self-Government Laws (Second Amendment) Ordinance, 1980 is hereby repealed. — Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in sections 2, 3 and 4 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under those Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 73 सा० (विधा०)—19-7-80—(1252)—1980—650 (मैक०)।